निरीक्षण प्रतिवेदन

थाना का नाम :- **तोपचाँची थाना**

निरीक्षण की तिथि :- 16-10-2000

निरीक्षी पदा० का नाम :- डा० बी० राजेन्दर, भा०प्र०से०.
उपायुक्त,धनबाद ।

डा0 बी0 राजेन्दर, भा.प्र.से., उपायुक्त, धनबाद द्वारा दिनांक 16.10.2000 को तोपचॉची थाना का किये गये निरीक्षण से संबंधित अभिलिखित निरीक्षण टिप्पणी ।

(1) परिचय :

तोपचॉची थाना की स्थापना अधिसूचना संख्या–58 पी.आ. दिनांक 8 सितम्बर,1917 बिहार एवं उड़िसा गजट दिनांक 12 सितम्बर , 1917 एवं 993 पी. आ. दिनांक 17 जून , 1920 बिहार एवं उड़िसा गजट दिनांक 9 जून 1920 द्वारा की गई है । यह थाना दिनांक 9.6.1920 से कार्यरत है । यह मुख्यालय से 34 कि.मी. की दूरी पर जी.टी. रोड पर अवस्थित है । यह विभागीय भवन में कार्यरत है । दिनांक 14.7.86 से उत्तराधिकारी पट्ट थाना में उपलब्ध है । इसके पूर्व 1920 से लेकर कौन–कौन थाना प्रभारी इस थाने में कार्यरत थे, उसकी सूची उपलब्ध करा दें ताकि इसके इतिहास के बारे में पता चल सके । यह थाना बाघमारा आरक्षी अनुमण्डल के अन्तर्गत आता है ।

तोपचॉची अंचल के अन्तर्गत निम्नांकित थाना एवं पिकेट आते हैं :–

(क) तोपचॉची थाना
(ख) हरिहरपुर थाना
(ग) बाघमारा थाना
(घ) नेरो पिकेट
(च) गणेशपुर पिकेट

निरीक्षण के दौरान आरक्षी निरीक्षक तोपचॉची अंचल ने जानकारी दी कि गणेशपुर पिकेट एक औषधालय में कार्यरत है जिसके भवन की स्थिति जीर्ण–शीर्ण है । उनके द्वारा इसकी मरम्मति हेतु अनुरोध किया गया । जैसी की जानकारी दी गई कि यह होमियो औषधालय है, अतः जिला अभियन्ता , जिला परिषद को निदेश दिया जाता है कि इसकी मरम्मति का प्राक्कलन बनाकर स्वीकृति प्राप्त करते हुए एक सप्ताह के अन्दर कार्य कराना सुनिश्चित करेंगें । नेरो पिकेट के संबंध में जानकारी दी गई कि वह सामुदायिक भवन में कार्यरत है तथा भवन की स्थिति अच्छी है । वहॉ पर किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं है ।

निरीक्षण के दौरान सिरिस्ता कक्ष को देखा गया । कक्ष अच्छी स्थिति में पाई गई । इस कक्ष में आर्म्स कक्ष एवं बेतार कक्ष के कमरे सम्बद्ध हैं । इस थाने में कार्रत बल के उपयोग हेतु बाथरूम –कम–शौचालय का निरीक्षण किया गया । इसका रख–रखाव पानी के अभाव में ठीक नहीं है । दरवाजे टूटा हुआ पाया गया जिसकी मरम्मति आवश्यक है । आरक्षी अधीक्षक , धनबाद प्रबन्ध निदेशक , बिहार पुलिस बिल्डिंग कन्सट्रक्शन निगम को चापाकल एवं मरम्मति मद में राशि उपलब्ध कराने हेतु अपने स्तर से अनुरोध करेंगें ।

थाना परिसर का निरीक्षण के दौरान यह पाया गया कि थाने की चहारदिवारी की स्थिति अच्छी नहीं है । इसका मुख्य कारण यह है कि इसका रख–रखाव ठीक ढंग से नहीं किया जा रहा है । इतना ही नहीं थाने के पिछवाड़े में जप्त किये गये कोयले के वजन से चहारदिवारी टूट कर गिर गया है । यह क्षेत्र उग्रवादी प्रभावित क्षेत्र है । उग्रवादी क्षेत्र होने के नाते कोई अप्रिय घटना घटित होने से इन्कार नहीं किया जा सकता है । अतः चहरदिवारी की

मरम्मति आवश्यक प्रतीत होती है । आरक्षी अधीक्षक, धनबाद चहरदिवारी के निर्माण हेतु राशि उपलब्ध कराने हेतु प्रबन्ध निदेशक, बिहार पुलिस बिल्डिंग कन्स्ट्रक्शन निगम को अपने स्तर से अनुरोध करेंगें ।

थाना परिसर में अवस्थित आरक्षी निरीक्षक एवं 8 आरक्षियों का आवास का निरीक्षण किया गया । आरक्षियों के आवास की स्थिति जर्जर है जिसमें आंशिक मरम्मति की आवश्यकता है । आरक्षी निरीक्षक , तोपचॉची अंचल को निदेश दिया जाता है कि अपने स्तर से इसके मरम्मति की दिशा में अग्रतर कार्रवाई सुनिश्चित करेंगें ।

निरीक्षण के दौरान आरक्षी निरीक्षक, तोपचॉची अचंल ने अवगत कराया कि इस थाने को पानी की दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है । जबकि तोपचॉची लेक से कोयलांचल क्षेत्र में पाईप द्वारा जलापूर्ति की जाती है । उनके द्वारा अनुरोध किया गया कि पाईप द्वारा जलापूर्ति की व्यवस्था कर दी जाय ताकि पीने के पानी से बंचित नहीं रहना पड़े । कार्यपालक अभियन्ता , लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण प्रमण्डल, धनबाद सारी औपचारिकताएँ पूरी करते हुए पानी की संयोग उपलब्ध कराने हेतु अग्रतर कार्रवाई सुनिश्चित करेंगें ।

थाना परिसर में जप्त कोयले एवं लोहे के ढेर जहॉ–जहॉ रखे रहने से जगह सीमित होकर रह गया है जिसे नियमानुसार निष्पादित करने की आवश्यकता महसूस की गई । आरक्षी निरीक्षक, तोपचॉची अंचल एवं थाना प्रभारी, तोपचॉची थाना जप्त प्रदर्श के नियमानुसार निष्पादन हेतु आरक्षी अधीक्षक , धनबाद से अनुरोध करेंगें ।

तोपचॉची थाना के पुराने भवन , जो नये भवन से सटे हैं , का निरीक्षण किया गया तो उसकी स्थिति जर्जर पाई गई । इस भवन में आर्म्स गार्ड रह रहे हैं । आरक्षी अधीक्षक , धनबाद इस भवन की मरम्मति के लिए राशि उपलब्ध कराने हेतु अपने स्तर से प्रबन्ध निदेशक, बिहार पुलिस बिल्डिंग कन्स्टक्शन निगम से अनुरोध करेंगें ।

तोपचॉची थाना के संबंध में अन्य सूचनाएँ निम्नवत हैं :–

(क) चौहदी	पूरब	: राजगंज ओ0पी0 ।
	पश्चिम	: निमियाघाट थाना (गिरीडीह जिला)
	उत्तर	: पीरटांड़ थाना (गिरीडीह) एवं टुण्डी थाना
	दक्षिण	: हरिहरपुर , बरोरा एवं कतरास थाना ।

(ख) क्षेत्रफल	: 1992 वर्गमील
(ग) ग्राम पंचायतों की संख्या	: 12
(घ) कुल आबादी	: 1.11.024
(च) कुल ग्रामों की संख्या	: 88

(2) प्रभार :

वर्तमान मे श्री अशोक कुमार , अ0नि0 तोपचॉची थाना के प्रभार में हैं । इसके पूर्व श्री यमुना राम, अ0नि0 तोपचॉची थाना के प्रभार में थे । इसी प्रकार श्री जयराम शर्मा , अ0 नि0 तोपचॉची अंचल के प्रभार में हैं तथा इसके पूर्व श्री राजा राम प्रसाद , अ0नि0 तोपचॉची अंचल के प्रभार में थे ।

(3) पूर्व निरीक्षण :

इस थाना का निरीक्षण निम्नांकित निरीक्षी पदाधिकारियों द्वारा किया गया है :–

क्रमांक	निरीक्षी पदाधिकारी का नाम एवं पदनाम	निरीक्षण की तिथि	निरीक्षण टिप्पणी प्राप्ति की तिथि	अनुपालन की तिथि
1	श्री एम0 रहमान , अनुमण्डल आरक्षी पदाधिकारी, बाघमारा	09.03.1975	अंकित नहीं है	25.12.1975
2	श्री भगवती प्रसाद सिंह, आ0नि0 बाघमारा	27.02.1976	——	12.08.1976
3	श्री एम0 रहमान, अनु0आरक्षी पदाधिकारी , बाघमारा	17.03.1976	12.08.1976	20.11.1976
4	श्री भगवती प्रसाद सिंह, आ0 नि0 बाघमारा	23.08.1976	——	20.11.1976
5	श्री गणेश प्रसाद यादव, आरक्षी उपाधीक्षक , बाघमारा	24.08.1976 05.09.1976	——	25.11.1976
6	श्री तारकेश्वर प्रसाद, आरक्षी अधीक्षक, धनबाद	31.12.1976	30.06.1977	27.07.1977
7	श्री गणेश प्रसाद यादव , आरक्षी उपाधीक्षक, बाघमारा	28.07.1977	——	26.10.1977
8	श्री मैकू राम, भा0आ0से0,आरक्षी अधीक्षक ,धनबाद	30.12.1977	——	10.06.1978
9	श्री कृत भूदेव,भा0आ0से0 आरक्षी उप–महानिरीक्षक,हजारीबाग	28.01.1978	——	25.10.1978
10	श्री गणेश प्रसाद यादव,आरक्षी उपाधीक्षक,बाघमारा	20.08.1978	10.10.1978	10.10.1978
11	श्री के0के0 सिंह, आ0 नि0 बाघमारा	03.03.1979	——	——
12	श्री आर0आर0 प्रसाद,भा0आ0से, आरक्षी अधीक्षक, धनबाद	23.03.1979	——	24.08.1979
13	श्री भवेश ठाकुर, आरक्षी उपाधीक्षक, बाघमारा	16.12.1979	——	10.02.1980
14	श्री भवेश ठाकुर, आरक्षी उपाधीक्षक, बाघमारा	18.09.1980	——	08.10.1980
15	श्री सारंगधर सिन्हा, भा0आ0से0, आरक्षी अधीक्षक, धनबाद	11.10.1980	——	28.10.1981
16	श्री बलबीर चांद, भा0आ0से, आरक्षी अधीक्षक, धनबाद	07.03.1982	——	01.06.1982
17	श्री दिनेश्वर प्रसाद राय, आ0 नि0	12.04.1982 13.04.1982	01.01.1983	10.01.1983
18	श्री वाई0एन0 श्रीवास्तव, आरक्षी उप–महानिरीक्षक, कोयलांचल क्षेत्र, बोकारो	25.09.1982	——	04.03.1983

क्रमांक	निरीक्षी पदाधिकारी का नाम एवं पदनाम	निरीक्षण की तिथि	निरीक्षण टिप्पणी प्राप्ति की तिथि	अनुपालन की तिथि
19	श्री बलबीर चांद, भा0आ0से0 आरक्षी अधीक्षक, धनबाद	09.06.1983	—	11.07.1983
20	श्री रामनेह सिंह, आ0नि0 तोपचॉची	28.07.1983	—	02.11.1983
21	श्री एस0के0 सिन्हा, अनु0 आरक्षी पदाधिकारी, बाघमारा	13.11.1983	—	28.11.1984
22	श्री एस0के0 सिन्हा, अनु0आरक्षी पदाधिकारी, बाघमारा	29.11.1984	—	12.01.1985
23	श्री रामनेह सिंह, आ0नि0, तोपचॉची	17.03.1985	—	14.07.1985
24	श्री अशीष रंजन सिन्हा, आरक्षी अधीक्षक, धनबाद	14.01.1985	—	17.09.1985
25	श्री सुनील कुमार सिंह, अनु0आरक्षी पदाधिकारी, बाघमारा	14.10.1985	—	15.11.1985
26	श्री रामनेह सिंह, आ0नि0, तोपचॉची	01.12.1985	—	अंकित नहीं
27	श्री महेन्द्र कुमार, आ0नि0, तोपचॉची	10.11.1986	—	15.07.1987
28	श्री महेन्द्र कुमार, आ0नि0, तोपचॉची	11.11.1986 26.09.1987 27.09.1987	—	14.12.1987
29	श्री विमल किशोर सिन्हा, अनु0 आरक्षी पदाधिकारी, बाघमारा	31.01.1988	—	11.04.1988
30	श्री घनश्याम प्रसाद, आ0नि0, तोपचॉची	20.03.1989	—	17.05.1989
31	श्री घनश्याम प्रसाद, आ0नि0, तोपचॉची	27.06.1989	—	14.01.1990
32	श्री घनश्याम प्रसाद, आ0नि0, तोपचॉची	30.12.1989 /31.12.1989		14.01.1990
33	श्री घनश्याम प्रसाद, आ0नि0, तोपचॉची	16.04.1990		27.04.1990
34	श्री ए0 के0 गुप्ता, भा0आ0से0, आरक्षी अधीक्षक, धनबाद	23.02.1991	—	25.11.1991
35	श्री महेश राम पासवान, आ.नि0, तोपचॉची	31.03.1991	—	27.11.1991
36	श्री एन0 पी0 सिंह, अनु0 आरक्षी पदाधिकारी, बाघमारा	28.11.1991	—	15.03.1992
37	श्री अशोक कुमार, आरक्षी अधीक्षक, धनबाद	25.04.1992	—	—
38	श्री एन0 पी0 सिंह, अनु0 आरक्षी पदाधिकारी, बाघमारा	30.04.1992	—	14.11.1993
39	श्री नेयाज अहमद, आरक्षी उप महानिरीक्षक, कोयलांचल क्षेत्र, बोकारो	02.12.1993	—	25.06.1993
40	श्री सरयु बैठा, आ.नि. तोपचॉची	27.06.1994 30.06.1994	—	18.12.1995
41	श्री महेन्द्र प्रसाद सिंह, आ. नि. , तोपचॉची	20.05.1995	—	18.12.1995
42	डा0 परवेज अख्तर, अनु0 आरक्षी पदाधिकारी, बाघमारा	29.05.1995	—	18.12.1995
43	श्री सुनील कुमार, भा0आ0से0, आरक्षी अधीक्षक, धनबाद	31.01.1996	—	25.05.1996
44	श्री महेन्द्र प्रसाद सिंह. आ.नि. तोपचॉची	30.09.1996	—	18.02.1999
45	श्री लालबाबू पासवान, अनु.आरक्षी पदाधिकारी, बाघमारा	29.12.1996	—	10.02.1997

क्रमांक	निरीक्षी पदाधिकारी का नाम एवं पदनाम	निरीक्षण की तिथि	निरीक्षण टिप्पणी प्राप्ति की तिथि	अनुपालन की तिथि
46	श्री सुरेश प्रसाद चौधरी, अनु. आरक्षी पदाधिकारी, बाघमारा	28.01.1998	——	20.05.1998
47	श्री अशोक कुमार, आ0नि0 तोपचॉची	28.03.1998	——	20.05.1998
48	श्री कुमार राजेश चन्द्रा, भा0आ0से, आरक्षी अधीक्षक, धनबाद	06.05.1998	——	12.07.1998
49	श्री एस0एस0मोदी, आ0नि0 तोपचॉची	22.09.1998	——	——
50	श्री सुरेश प्रसाद चौधरी ,अनु0 आरक्षी पदा0, बाघमारा	24.03.1999	——	——
51	श्री सुरेश प्रसाद चौधरी ,अनु0 आरक्षी पदा0, बाघमारा	28.11.1999	10.09.2000	15.10.2000
52	श्री जयराम शर्मा, आ0 नि0 तोपचॉची	21.01.2000	——	17.10.2000

उपरोक्त तालिका के अवलोकन से प्रतीत होता है कि बहुत सारे निरीक्षी पदाधिकारी के निरीक्षण टिप्पणी प्राप्ति की तिथि अंकित नहीं की गई है कि निरीक्षण टिप्पणी कब प्राप्त हुआ है । प्रत्येक निरीक्षी पदाधिकारी का निरीक्षण टिप्पणी एवं अनुपालन प्रतिवदेन उपलब्ध पाया गया । निरीक्षण टिप्पणी में दिये गये निदेश का अनुपालन समय पर किये जाने से कार्यो में गुणात्मक सुधार आने की प्रबल सम्भावना रहती है ।

(4) स्थापना :

तोपचॉची थाना में स्वीकृत बल की स्थिति निम्न प्रकार है :–

क0	पदनाम	स्वीकृत बल	कार्यरत बल	रिक्त
1	अवर निरीक्षक	3	4	–
2	सहायक अवर निरीक्षक	2	5	–
3	हवलदार	2	1	1
4	आरक्षी	10	6	4

उपरोक्त तालिका के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि अवर निरीक्षक के कुल स्वीकृत बल 3 के विरूद्ध 4 कार्यरत हैं । इसी प्रकार सहायक अवर निरीक्षक के कुल स्वीकृत बल 2 के विरूद्ध 5 कार्यरत हैं । आरक्षी अधीक्षक, धनबाद इस विसंगति के संबंध में अधोहस्ताक्षरी को एक स्पष्ट प्रतिवेदन उपलब्ध करायेंगें । अभी भी इस थाना में हवलदार के 1 पद एवं आरक्षी के 6 पद रिक्त हैं । इनपदों के भरने के लिए आरक्षी अधीक्षक, धनबाद अपने स्तर से अग्रतर कार्रवाई करेंगें ।

इस थाना में पदस्थापित अवर निरीक्षकों/सहायक अवर निरीक्षकों / हवलदार / अन्य का नाम, पदनाम एवं योगदान की तिथि निम्न प्रकार है :–

क0	नाम	पदनाम	योगदान की तिथि
1	श्री अशोक कुमार	अवर निरीक्षक	07.07.2000
2	श्री सुरेश प्रसाद	अवर निरीक्षक	07.08.1998
3	श्री पन्ना लाल राम	अवर निरीक्षक	07.08.1998
4	श्री कुमार एस0 आनन्द	अवर निरीक्षक	01.12.1999
5	श्री कामता प्रसाद	सहायक अवर निरीक्षक	11.11.1998
6	श्री भुनेश्वर सिंह	सहायक अवर निरीक्षक	21.07.2000
7	श्री शशिभूषण दास	सहायक अवर निरीक्षक	30.10.1998
8	श्री राम पवित्र पासवान	सहायक अवर निरीक्षक	05.11.1999
9	श्री मल्कू उरांव	सहायक अवर निरीक्षक	22.07.2000
10	श्री राम नन्दन सिंह	हवलदार	28.08.2000
11	श्री सच्चिदानन्द सिंह	साक्षर आरक्षी / 11	24.09.2000
12	श्री विधाकर ठाकुर	साक्षर आरक्षी /768	23.03.2000
13	श्री मो0 इजहार खान	आरक्षी /1015	15.01.1999
14	श्री रघुनाथ सिंह	आरक्षी /143	10.12.1998
15	श्री उमेश सिंह	आरक्षी /1451	29.03.2000
16	श्री भूप नारायण यादव	आरक्षी /1538	28.06.1999
17	श्री आशुतोष कुमार	चालक आरक्षी /1396	16.05.2000

(5) सशस्त्र बल :

तोपचॉची थाना में प्रतिनियुक्त सशस्त्र बलों की पार्टीवार सूची निम्न प्रकार है :–

पार्टी संख्या	प्रतिनियुक्त सशस्त्र बल के हवलदार / आरक्षी का नाम	तोपचॉची थाना में आगमन की तिथि
1	1. हवलदार– मनोज राय	29.06.2000
	2. आ0 /361– राम पुकार सिंह	
	3. आ0 /496– सन्मुख राम	
	4. आ0 /748– उमेश कुमार सिंह	
	5. आ0 /300– राज कुमार सिंह	

पार्टी संख्या	प्रतिनियुक्त सशस्त्र बल के हवलदार / आरक्षी का नाम	तोपचॉची थाना में आगमन की तिथि
2	1. हवलदार – महेन्द्र पासवान	01.07.2000
	2. आ0 /488– दिलीप कुमार सिंह	
	3. आ0 /698– प्रमोद कुमार राय	
	4. आ0 /1534– गुलाम सरवर खॉ	
	5. आ0 /141– राज जनम प्रसाद	
3	1. हवलदार– नन्द कुमार सिंह	26.06.2000
	2. आ0 /1250– संजय कुमार सिंह	
	3. आ0 /1150– रंजन कुमार सिंह	
	4. आ0 /1215– राज कुमार पाण्डेय	
	5. आ0 /1364– एक्तारूल हक खॉ	
	6. आ0 /1392– केदार राम	
4	1. हवलदार– अवध किशोर राय	15.10.2000
	2. आ0 /135– अनिल कुमार सिंह	
	3. आ0 /1469– अब्बु जाफर	
	4. आ0 /187– शोभनाथ यादव	
	5. आ0 /1346– जगदीश प्रसाद साह	
	6. आ0 /273– रामाशीष बैठा	

तोपचॉची थाना को विधि–व्यवस्था संधारणार्थ एवं अन्य कार्यो के लिए दो वाहन उपलब्ध कराये गये हैं :– एक जीप एवं एक 407 ट्रक । इस थाना के अन्तर्गत दो पिकेटों पर सशस्त्र बलों की स्थिति निम्न प्रकार है :–

पिकेट का नाम	सशस्त्र बलों की स्थिति
नेरो	1–4–11 (बी0एम0पी0)
	1–5 (डी0ए0पी0)
	1–3 (डी0ए0पी0)
गणेशपुर	1–4–11 (बी0एम0पी0)
	1–5 (डी0ए0पी0)

(6) थाना दैनिकी :

पुलिस हस्तक के नियम–116 के तहत फार्म न. 15 में थाना दैनिकी संधारित करना है । थाना में उपलब्ध थाना दैनिकी के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि क्रमांकित भौलूम विहित प्रपत्र में संधारित है । यह दो प्रतियों में होती है । कार्बन प्रति आरक्षी निरीक्षक, तोपचाँची अंचल को प्रतिदिन भेज दी जाती है । आरक्षी निरीक्षक द्वारा एक महीने का थाना दैनिकी संकलित कर महीने के अन्तिम दिन आरक्षी अधीक्षक को अग्रतर कार्रवाई हेतु भेजा जाता है । थाना दैनिकी में हर दो घंटे के सूचनाओं को अंकित किया जाता है । यह कार्य 8 बजे पूर्वाहन से प्रारम्भ होकर दूसरे दिन 8 बजे पूर्वाहन तक चलता है तथा पुनः उसी सिलसिलेवार से थाना दैनिकी में सूचनाऐं अंकित करने का कार्य जारी रहता है अर्थात 24 घंटे तक का सूचनाएं प्रतिदिन थाना दैनिकी में अंकित किया जाता है । थाना दैनिकी के अवलोकन से प्रतीत होता है कि यह नियमित रूप से लिखा जा रहा है ।

निरीक्षण के दौरान थाना दैनिकी के बुक संख्या 43857 का अवलोकन किया गया जो दिनांक 01.10.2000 से प्रारम्भ किया गया है । इस बुक के अवलोकन से यह पता चला कि दिनांक 01.10.2000 को तोपचाँची जी0टी0 रोड पर पांच वर्ष की एक लड़की को ट्रक द्वारा मारे जाने के कारण ग्रामीणों द्वारा जी0टी0 रोड को जाम किया गया था । जिसकी सूचना थाना को मिलते ही थाना प्रभारी सशस्त्र बल के साथ घटना स्थल के लिए प्रस्थान कर गये थे तथा स्थिति को नियंत्रित किया था तथा इसकी सूचना वरीय पदाधिकारी को भी दी गई थी । स्पष्टतः थाना दैनिकी अच्छे ढंग से संधारित की गई है ।

(7)फिरारी पंजी :

पुलिस हस्तक के नियम–118 के तहत फार्म नं0 16 में फिरारी पंजी विहित प्रपत्र में संधारित किया जा रहा है । फिरारी पंजी के अवलोकन से पता चलता है कि अभी कुल 18 व्यक्ति फिरारी सूची में हैं । कुछ मामले 1959 के भी हैं । उदाहरण स्वरूप– राधाकान्त सहाय, सा0 औरंगाबाद जिला–औरंगाबाद दिनांक 18.10.1959 से फिरारी सूची में नाम दर्ज है । मसलन 41 वर्षो से यह फिरारी सूची में आ रहे हैं । इसकी समीक्षा करना उचित प्रतीत होता है । थाना प्रभारी को निदेश दिया जाता है कि इस मामले के निष्पादन हेतु आरक्षी अधीक्षक, धनबाद से मार्गदर्शन प्राप्त करना सुनिश्चित करेंगें । इसी तरह 1955,54, एवं 56 के कुछ मामले हैं । थाना प्रभारी को निदेश दिया जाता है कि अपने क्षेत्र में इन फिरारी व्यक्तियों के गिरफ्तारी हेतु सघन अभियान चलाकर इसे अंजाम दें ।

(8) रिटर्न आफॅ अन–एक्सक्यूटेड वारंट :

पुलिस हस्तक के नियम–109 के तहत फार्म नं0 50 में पंजी संधारित करना है, जो इस थाना में नहीं किया जा रहा है । जो वारंट तामिला नहीं होता है, वह थाना में वापस लौट जाता है । उन सभी वारंट को पंजी में संधारित करना है । थाना प्रभारी को निदेश दिया जाता है कि विहित प्रपत्र में रिटर्न आफॅ अन एक्सक्यूटेड वारंट का एक पजी संधारित करें ।

(9)गिरफतार अपराधियों की पंजी :

पुलिस हस्तक के नियम–171 के तहत फार्म नं0 31ए में इस पंजी को संधारित करना है । परन्तु इस थाना में इसे संधारित नहीं किया जा रहा है । थाना प्रभारी को निदेश दिया जाता है कि इस पंजी को विहित प्रपत्र में संधारित करना सुनिश्चित करेंगें ।

(10) रजिस्टर ऑफ आर्म्स लाईसेन्स :

पुलिस हस्तक के नियम–130 के तहत फार्म नं0 25 में यह पंजी विहित प्रपत्र में संधारित है तथा इस पंजी को समाहरणालय , धनबाद के सामान्य शाखा से दिनांक 12.10.2000 को मिलान करवा लिया गया है । इसके पूर्व वर्ष 1998 में दिनांक 29.08.1998 को मिलान कराया गया है । आर्म्स एक्ट के नियम 46 के अन्तर्गत प्रत्येक वर्ष में एक बार मिलान करना है । इस पंजी के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि पूर्व में नियमित रूप से इसके मिलान की कार्रवाई नहीं की जा रही थी। थाना प्रभारी को निदेश दिया जाता है कि भविष्य में इस पंजी का मिलान प्रत्येक वर्ष में एक बार करना सुनिश्चित करेंगें ।

इस थाना में कुल 32 आर्म्स लाईसेंस है जिसकी स्थिति निम्नवत है :–

(क) एस0बी0बी0एल0	:	03
(ख) डी0बी0बी0एल0	:	28
(ग) रायफल	:	01
	कुल	32

(11) हाजत पंजी :

पुलिस हस्तक के भोलूम–11 के नियम–239ए फार्म नं043ए में यह पंजी विहित प्रपत्र में संधारित है , परन्तु किसी भी स्तम्भ में प्रविष्टि नहीं की गई है । उदाहरण स्वरूप दिनांक 27.09.2000 को दो अभियुक्तों को हाजत में रखा गया , परन्तु पंजी में सन्तरी का हस्ताक्षर नहीं है । यह बहुत ही दुःखद स्थिति है । इसी प्रकार स्तम्भ संख्या–5,6 एवं 8 में कोई इन्दराज नहीं किया गया । इस हाजत पंजी का मुख्य उददेश्य यही है कि हाजत में बन्दी को ठीक प्रकार से रखा जाय । अगर पंजी का संधारण सही ढंग से नहीं किया जाता है और स्तम्भ खाली रखे जाते हैं तथा बन्दी के साथ कोई घटना घट जाती है , तो ऐसी स्थिति में साधारणतया यह माना जा सकता है कि थाना प्रभारी के द्वारा अपने कर्त्तव्यों में लापरवाही बरती गई है । यह पंजी एक तरह से और भी महत्तवपूर्ण हो जाता है, जब राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग द्वारा किसी मामले में प्रतिवेदन की मांग की जाती है, तो उस समय यह पंजी बहुत उपयोगी साबित होती है । ऐसी स्थिति में संबंधित सन्तरी का हस्ताक्षर पंजी में अंकित रहना नितान्त आवश्यक है । थाना प्रभारी को निदेश दिया जाता है कि इस पंजी के सभी स्तम्भों को भरवाना सुनिश्चित करें एवं संबंधित सन्तरी से हस्ताक्षर भी पंजी में अंकित करवाना सुनिश्चित करें ।

दिनांक 27.09.2000 को आरक्षी /143 श्री रघुनाथ सिंह डयूटी में थे, परन्तु उनके द्वारा हाजत पंजी में हस्ताक्षर नहीं किया है । थाना प्रभारी तोपचाँची थाना उनसे 24 घंटे के अन्दर स्पष्टीकरण प्राप्त करें कि क्यों नहीं उनके विरूद्व अनुशासनिक कार्रवाई की जाय । उनसे प्राप्त स्पष्टीकरण को थाना प्रभारी अपने मन्तब्य के साथ अधोहस्ताक्षरी को उपलब्ध करायेंगें ।

दिनांक 01.10.2000 को हवलदार रास नन्दन सिंह की डयूटी थी, परन्तु उनके द्वारा भी हस्ताक्षर नहीं किया गया है । इनसे भी स्पष्टीकरण प्राप्त किया जाय ।

हाजत पंजी के पृष्ठों के संबंध में प्रमाण पत्र अंकित नहीं किया गया है । अगर इस पंजी मे पृष्ठों की संख्या नहीं रहेगी तो कोई भी व्यक्ति इसमें से पृष्ठ को फाड़कर थाना प्रभारी को बदनाम करने का साजिस करने का प्रयास करेगा । थाना प्रभारी को निदेश दिया जाता है कि इस पंजी में पृष्ठों की संख्या अंकित कर प्रमाण पत्र देना सुनिश्चित करेंगें । हाजत पंजी में सभी प्रविष्ठियों को अंकित करने से अनुसंधान कार्य में भी सुविधा होगी । इस पर भी थाना प्रभारी ध्यान देंगे ।

(12) तख्ती नं0 1:

सरकारी सम्पति की सूची से संबंधित तख्ती नं0 1 का अवलोकन किया । यह विहित प्रपत्र में संधारित नहीं है । मात्र इसमें खानापुरी की गई है । थाना प्रभारी को निदेश दिया जाता है कि इस विहित प्रपत्र में संधारित करना सुनिश्चित करें । निरीक्षण के दौरान आरक्षी निरीक्षक , तोपचाँची अंचल ने बताया कि सरकारी सम्पति की सूची में मात्र थाना के उपस्कर एवं अन्य सामानों को रखा गया है । जहाँतक मेरी समझ में थाना परिसर के क्षेत्र में रखे सरकारी सम्पति एवं लावारिस सम्पति को सूची में रखना चाहिए तथा पूर्ण जानकारी होनी चाहिए ताकि सरकारी सम्पति के हड़पने या इसकी क्षति पहुँचाने से इसे रोका जा सके ।

(13) तख्ती नं0– 2 :

तोपचाँची थाना क्षेत्र में फैक्टरी नहीं रहने के कारण इसमें कोई सूचनाएं अंकित नहीं है ।

(14) तख्ती नं0 5 :

इसमें भी कोई सूचनाएं अंकित नहीं की गई है ।

(15) तख्ती नं0 6:

इसके अवलोकन से स्पष्ट होता है कि इसमें भी शून्य लिखा हुआ है । वह भी वर्ष 98 का लिखा हुआ है । थाना प्रभारी इसे अद्यतन करना सुनिश्चित करेंगें । थाना प्रभारी को अपने क्षेत्र के देशी एवं विदेशी शराब की दुकानों के संबंध में जानकारी नहीं है । यह बहुत ही दुःखद स्थिति है । यह शराब ही अपराध की जड़ है । अतः थाना प्रभारी को पुनः निदेश दिया जाता है कि तख्ती नं0 6 को अद्यतन कराना सुनिश्चित करेंगें एवं उसपर कड़ी निगरानी रखेंगें । तोपचाँची थाना क्षेत्र में जो भी लाईसेन्सी दुकान है , वे निर्धारित स्थल पर ही शराब की बिकी करेंगें , इसका भी अनुपालन थाना प्रभारी सुनिश्चित करेंगें ।इस संबंध में थाना प्रभारी सहायक आयुक्त उत्पाद से लाईसेन्सी दुकानों के संबंध में जानकारी प्राप्त करेंगें ।

(16) तख्ती नं0 7 :

इस थाना में विभिन्न अ0न0 एवं स0अ0नि0 को अन्वेषण कार्य जो थाना प्रभारी एवं आरक्षी निरीक्षक द्वारा निर्धारित किया गया है , इसकी सूची विहित प्रपत्र में संधारित है ।

(17) तख्ती नं0 8 :

इस थाना क्षेत्र में गेसिंग एवं जुआ अडडा के संबंध में सूचनाएँ शून्य अंकित की गई है ।

(18) तख्ती नं0 9 :

मात्र बुधबार को तोपचाँची में हाट–बाजार लगने का जिक लिखा हुआ पाया । परन्तु एक वर्ष में किन–किन तिथियों को मेला लगता है, उसे अंकित नहीं किया जाता है, जिसे अंकित करना चाहिए । थाना प्रभारी इसे अद्यतन करते हुए अनुपालन सुनिश्चित करेंगें ।

(19) तख्ती न0 10 :

वर्ष 1997 में माननीय उच्च न्यायालय ने ग्राम पंचायत के मुखिया एवं सरपंच का पद समाप्त कर दिया है । परन्तु थाना प्रभारी द्वारा तोपचाँची क्षेत्र के सभी मुखिया एवं सरपंच की सूची संधारित की जा रही है । वस्तुतः वे लोग वहां के प्रमुख व्यक्ति होते हैं तथा किसी मामले के निष्पादन में उनसे मदद मिल सकती है ।

(20) तख्ती नं0 11 :

इसके अवलोकन से प्रतीत होता है कि पुलिस स्टेशन एवं जिला का नाम अंकित है । नियम–152 के तहत इसके लिए प्रपत्र भी है ।

(21) तख्ती नं0 12 :

दागी करणा चमार पे0 स्व0 जीतन चमार सा0 कमालडीह थाना – तोपचाँची जिला–धनबाद को 1965 से सूची में रखा गया है तथा इसकी गतिविधि निष्क्रिय दिखाया गया है । ये अभी वृद्ध भी हो गये होंगे । यह मामला निष्पादन योग्य प्रतीत होता है । थाना प्रभारी को निदेश दिया जाता है कि इस तरह के सभी मामलों के निष्पादन हेतु सक्षम पदाधिकारी के पास स्वीकृति हेतु प्रस्ताव भेजें । अनुक्रमण विहित प्रपत्र में नहीं किया गया है तथा यह अद्यतन भी नहीं है ।

(22) तख्ती नं0 13 :

अगल–बगल थाना के सकिय अपराधियों की सूची इसमें होना चाहिए । परन्तु 1998 के बाद जो भी पत्र प्राप्त हुए हैं उसे खानापुरी हेतु घुमाया जा रहा है । इसे अनुकमण कर रखना चाहिए तथा रख–रखाव अच्छे ढंग से होना चाहिए ।

(23) तख्ती नं0 14 :

1998 तक ही यह तख्ती संधारित है ।

(24) तख्ती नं0 15 :

थाना में संधारित मानचित्र पुलिस हस्तक के अनुसार तैयार नहीं किया गया है । थाना प्रभारी को निदेश दिया जाता है कि पुलिस हस्तक के अनुसार मानचित्र तैयार कर एक अच्छे कार्ड–बोर्ड में पेस्ट कर दीवार पर टंगवाना सुनिश्चित करेंगें ताकि कोई भी निरीक्षी पदाधिकारी एक झलक में उसका अवलोकन कर सके ।

(25) तख्ती सं0 16 :

सरकार के अधिसूचना के अनुसार पुलिस स्टेशन का सृजन किया जाता है । उक्त अधिसूचना में थाना नं0 क्षेत्रफल, जनसंख्या, गांवों की सूची इत्यादि का उल्लेख रहता है । उक्त अधिसूचना को पुलिस मुख्यालय से एक सप्ताह के अन्दर प्राप्त कर इसकी सूचना अधोहस्ताक्षरी को भी दी जाय ।

उपरोक्त सभी तखितयों / अभिलेख के अवलोकन से स्पष्ट रूप से पता चलता है कि थाना प्रभारी इसको अद्यतन करने में सफल नहीं हो पाये हैं । उनके द्वारा बताया गया कि तीन माह पहले इस थाना में योगदान किया है । वस्तुतः जब कोई थाना प्रभारी योगदान करते हैं, तो उनका दायित्व होता है कि सभी अभिलेख /तख्तियों को अद्यतन कर लें । थाना प्रभारी को निदेश दिया जाता है कि भविष्य में इसका अनुपालन सुनिश्चित करेंगें ।

(26)सब–इन्सपेक्टर नोट बुक :

पुलिस हस्तक के नियम–357 के तहत फार्म नं0 75बी में सब–इन्सपेक्टर नोटबुक संधारित करना है । परन्तु इस थाना में इसे विहित प्रपत्र में संधारित नहीं किया जा हा है । थाना प्रभारी को निदेश दिया जाता है कि इसे विहित प्रपत्र में संधारित करवाना सुनिश्चित करेंगें ।

(27) खतियान इन्सपेक्शन रजिस्टर पार्ट–1 :

यह विहित प्रपत्र में संधारित है ।

(28) खतियान इन्सपेक्शन रजिस्टर पार्ट–।। :

अभी भी वर्ष 1999 का 6 मामले लम्बित है ।

(29) सी0डी0 पार्ट– ।। :

आरक्षी निरीक्षक ने बताया कि अभी इसमें 37 मामलों को इन्दराज नहीं किया गया है । आरक्षी निरीक्षक को निदेश दिया जाता है कि वे अविलम्ब 37 मामलों को सी0डी0 पार्ट–।। में इन्दराज करें ।

(30) सी0डी0 पार्ट–।।। :

सी0डी0 पार्ट–।।। वर्ष 1997 का है जिसमें मात्र 1996 तक के मामले को लिखा गया है । वर्ष 1997 का एक भी मामला नहीं लिखा गया है । इसपर ध्यान देने की आवश्यकता है । इसका मुख्य उददेश्य यही है कि थाना क्षेत्र में सभी मुख्य विषयों पर गोपनीय अभ्युक्तियों को अंकित करना है जिससे आने वाले थाना प्रभारी को इससे काफी मदद मिलती है । थाना क्षेत्र में विभिन्न गतिविधियों के बारे में , अपराध के बारे में लिखा जाता है । यह तीन खण्डों में होता है ।

(31) एल्फावेट अनुकमण पंजी :

अगर किसी व्यक्ति का चरित्र सत्यापन का मामला थाना में आता है तो उसे अल्फावेट अनुकमण पंजी से नाम देखकर सी0डी0पार्ट–।। से जानकारी ली जाती है । वस्तुतः एल्फावेट अनुकमण पंजी में उन्हीं व्यक्तियों का नाम रहता है जो किसी मामले में संलिप्त हैं । यह पंजी सी0डी0 पार्ट–।। में अंकित व्यक्तियों के आधार पर बनाई गई है ।

(32) अप्राथमिकी (नन–एफ0आई0आर0):

यह विहित प्रपत्र में संधारित है । इस वर्ष दिनांक 15.10.2000 तक 107 सी0आर0पी0सी0 के अन्तर्गत 42 मामले में अप्राथमिकी दर्ज की गई है । विगत पांच वर्षो का अप्राथमिकी आंकड़ा निम्न प्रकार है :–

वर्ष	107	144	109 / 110	116 / 113	182 / 211	योग
1995	19	—	—	8	—	27
1996	102	12	—	3	1	118
1997	87	17	—	3	—	107
1998	40	7	—	—	1	48
1999	50	3	5	—	—	58
2000	42	4	—	—	—	46

(15.10.2000 तक)

(33) अप्राकृतिक मृत्यु :

यह विहित प्रपत्र में संधारित है । विगत पांच वर्षो का अप्राकृतिक मृत्यु से संबंधित आंकड़ा निम्न प्रकार है :–

वर्ष	पानी से	सांप से	बिजली से	फांसी से	जहर से	बज्रपात से	आग से	विविध
1995	01	—	—	01	02	01	03	04
1996	01	01	01	02	02	—	02	03
1997	01	—	01	03	01	—	03	02
1998	02	—	01	04	03	01	01	02
1999	04	01	—	06	04	—	01	06
2000	01	—	—	03	02	—	02	05

(15.10.2000 तक)

(34) हरिजन / आदिवासी अत्याचार अधिनियम के तहत दर्ज मामलों की पंजी :

हरिजन / आदिवासी अत्याचार अधिनियम के तहत दर्ज किये गये मामलों की पंजी इस थाने में संधारित नहीं की गई है । विदित हो कि यह आदिवासी बहुल क्षेत्र हैं । भूमिहीन एवं भूमिपतियों के बीच तनाव होने की घटना एवं हरिजन / आदिवासी के विरूद्ध अत्याचार की घटना के संबंध में समाचार पत्र के माध्यम से मिलते रहती है । इतना ही नहीं मुख्यालय स्तर पर अधोहस्ताक्षरी द्वारा आम जनता की शिकायतें सुनने के दौरान भी इस तरह की घटनाओं की जानकारी दी जाती है । थाना प्रभारी को स्पष्ट रूप से निदेश दिया जाता है कि इसका निवारण सही ढंग से सुनिश्चित करें । इस कम में यह भी निदेश

दिया जाता है कि किसी भी कमजोर वर्ग पर अत्याचार के मामले प्रकाश में न आये, इसपर निगरानी रखना सुनिश्चित करेंगें । वर्तमान में इस थाना में इस अधिनियम के हत मात्र एक मामले ही दर्ज हुए हैं । यह एक महत्तवपूर्ण अधिनियम है । परन्तु इसके संबंध में लोगों को कोई जानकारी नहीं है । एक–दो मामलों में अगर कार्रवाई होती है तो लोगों को इस अधिनियम के संबंध में जानकारी मिल सकती है । इस अधिनियम का अनुपालन नहीं करना इसका उल्लंघन माना जायगा । अतः इस पर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है ।

(35) रजिस्टर ऑफ आर्म्स डिपोजिटेड इन पुलिस स्टेशन :

यह पंजी तोपचाँची थाना में संधारित नहीं है । यह पंजी पुलिस हस्तक के नियम–325 के तहत फार्म नं0 67 में संधारित किया जाना है । थाना प्रभारी इस पंजी को विहित प्रपत्र में संधारित करना सुनिश्चित करेंगें । थाना प्रभारी ने बताया कि दो शस्त्र थाना में जमा है ।

(36) दैनिक प्रतिवेदन एवं साप्ताहिक प्रतिवेदन :

पुलिस हस्तक के नियम–59 के तहत फार्म नं0 6ए में यह प्रतिवेदन प्रेषित किया जाना है । आरक्षी निरीक्षक को प्रतिदिन के थाना दैनिकी से प्राथमिकी दर्ज किये गये मामलों में से मुख्य मामलों का दैनिक प्रतिवेदन अनुमण्डल पदाधिकारी को प्रेषित करना है । परन्तु इसका अनुपालन नहीं हो रहा है । उसके बाद अनुमंडल पदाधिकारी उसे उपायुक्त / जिला पदाधिकारी को प्रतिवेदन उपलब्ध कराते है ।

(37) चौकीदारी पंजी :

चौकीदारी पंजी का अवलोकनकिया गया । इसके अवलोकन से प्रतीत होता है कि वर्तमान थाना प्रभारी द्वारा इसे विहित प्रपत्र में संधारित किया जा रहा है । जो सराहनीय कार्य है । इसके पूर्व इस पंजी को सही ढंग से संधारित नहीं किया जा रहा था । रोमण अंकों में इसमें उपस्थिति अंकित की जा रही है । प्रत्येक चौकीदारों के लिए अलग–अलग पृष्ठ कर्णाकिंत किया गया है । प्रत्येक पृष्ठ में 12 माह का उपस्थिति स्तम्भ का उल्लेख किया गया है । वर्तमान में इस थाना में 26 चौकीदार कार्यरत हैं ।

चौकीदारों के स्वीकृत बल की स्थिति निम्न प्रकार है :–

स्वीकृत बल	कार्यरत	एवजी	बहाली द्वारा
30	25	04	01

तोपचाँची थाना मे कार्यरत स्थाई/एवजी एवं अन्य चौकीदारों का नाम एवं चौकीदार की संख्या निम्नत है :–

एवजी चौकीदार

क्रमांक	चौकीदार संख्या	चौकीदार का नाम
1	1 / 12	कैलाश प्रसाद महतो
2	3 / 9	धीरेन रजवार
3	1 / 20	महानन्द डोम
4	3 / 3	लोबिन मोहली
5	3 / 7	दीपक मोहली (त्रुटिपूर्ण)

स्थाई चौकीदार

क्रमांक	चौकीदार संख्या	चौकीदार का नाम
1	1 / 4	रौशन महतो
2	1 / 6	दासो महतो
3	1 / 7	मुखलाल महतो
4	1 / 11	मंगर महतो
5	1 / 14	जयलाल महतो
6	1 / 15	अब्दुल समद अंसारी
7	1 / 16	झड़ी मांझी
8	1 / 17	विशेश्वर महतो
9	1 / 18	कमरूददीन अंसारी
10	1 / 21	फलाड़ी डोम
11	2 / 1	गणेश राय
12	2 / 2	गुणी महतो
13	2 / 3	प्राण डोम
14	2 / 4	प्रयाग तुरी
15	2 / 5	सुकदेव मोहनी
16	3 / 1	ज्ञानचन्द मोहली
17	3 / 4	जगदीश मोहली
18	3 / 5	रोहण महतो
19	3 /6	सीतो गोप
20	3 /8	ध्रुव गोप

क्रमांक	चौकीदार संख्या	चौकीदार का नाम
21	3 / 3	ज्योति रजक
22	3 / 10	डोमन राम
23	3 / 11	शंकर राम
24	3 / 12	कालीचरण मोहली
25	3 / 13	धीरन बाउरी

(38) चौकीदार डिस्पोजीशन पंजी :

यह पंजी विहित प्रपत्र में संधारित है ।

(39) मालखाना पंजी :

मालखाना पंजी में मुख्यतः निम्नलिखित तरह के सामनों की प्रविष्टियॉ अंकित की जाती है :–
(क) लावारिस सामान
(ख) जप्त सम्पति
(ग) कुर्की से प्राप्त सम्पति

मालखाना पंजी विहित प्रपत्र में संधारित है । इसके अवलोकन से प्रतीत होता है कि बहुत सारे सामान वर्ष 1974 से पड़े हुए हैं तथा अनावश्यक रूप से जगह छेके हुए हैं । साथ ही खराब भी हो रहे हैं । इस लिए उसे नीलाम करने की आवश्यकता प्रतीत होती है । थाना प्रभारी को निदेश दिया जाता है कि मालखाना में जो भी सामान नीलाम योग्य हैं, उसकी सूची 15 दिनों के अन्दर बनाकर नीलामी हेतु सक्षम न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करें । मालखाना कक्ष का निरीक्षण किया गया । सभी जप्त प्रदर्श अच्छे ढंग से रखे हुए हैं ।

(40) मालखाना रिसिट भाउचर पंजी :

सक्षम न्यायालय अथवा सक्षम दण्डाधिकारी के आदेश से जो भी जप्त प्रदर्श मालखाना से मुक्त किया जाता है, उक्त आदेश के प्रति मालखाना रिसीट भाउचर पंजी में पेस्ट कर रखा जाता है।

(41) अनुक्रमण पंजी :

थाना में कितने तरह की पंजी संधारित है एवं कितनी पंजिया है, उसके सम्बन्ध में कोई प्रतिवेदन निरीक्षण के दौरान उपलब्ध नहीं कराया गया।थाना प्रभारी को निर्देश दिया जाता है कि थाना में संधारित किये जाने वाले सभी पंजियों एवं संचिकाओं के सम्बन्ध में अनुक्रमण पंजी तैयार कर रखी जाय।

(42) गुण्डा पंजी :

इसे वर्ष 1998 के बाद से अधतन नहीं किया गया है।इसके अवलोकन से स्पष्ट होता है कि इस पंजी के कमांक–10 पर श्री धरनीधर उपाध्याय पो०–हीतलाल उपाध्याय, सा0–ब्राहम्णडीहा, जन्म तिथि 1912 अंकित है।सम्भवतः इनकी मृत्यु हो गई होगी। ऐसी स्थिति में इसका पर्यवेक्षण कर इनका नाम पंजी से हटा देना उचित प्रतीत होता है। इस पंजी में बहुत सारे मामलों में जन्म तिथि खाली पड़ा हुआ है।

(43) अपराध आंकड़ा :

विगत पांच वर्षो का अपराध आंकड़ा निम्न प्रकार है :–

वर्ष	हत्या	डकैती	लूट	गृहभेदन	चोरी
1995	3	4(2)	2(1)	3	11(1)
1996	—	2(1)	6(1)	5	17(1)
1997	4(3)	3(2)	——	4	8(1)
1998	2(1)	2(2)	3(2)	5	13(4)
1999	4(2)	1(1)	1(1)	2	20(9)
2000 (15.10.2000 तक)	1	3	2	4	9

(44) पत्राचार :

इस थाना में पत्राचार पर नियंत्रण रखने के लिए निम्नांकित पंजी संधारित की गई है।

1. निर्गत पंजी
2. न्यायालय से प्राप्त पत्रों की पंजी
3. विभागीय पंजी
4. इन्क्वायरी पंजी
5. वारंट पंजी

(45) कान्सटेबल नोट बुक :

इस थाने में किसी कान्सटेबल के पास नोट बुक संधारित नहीं है । थाना प्रभारी को निर्देश दिया जाता है कि इसे विहित प्रपत्र में संधारित करवाना सुनिश्चित करें ।

(46) प्राथमिकी पंजी :

इस पंजी के अवलोकन से प्रतीत होता है कि इस वर्ष 135 काण्ड दर्ज किये गये है। अधोहस्ताक्षरी द्वारा मुख्यालय स्तर पर आयोजित आम जनता की शिकायतों के निवारण के क्रम में अक्सर लोगों की यह शिकायते प्राप्त होती है कि थाना में जब वे प्राथमिकी दर्ज कराने जाते है तो थाना द्वारा प्राथमिकी दर्ज नहीं की जाती है तथा उनकी बातें नहीं सुनी नहीं जाती है।फलतः आम नागरिकों को हताश हो जाना पड़ता है तथा उनका विश्वास प्रशासन से उठ जाता है।इसलिए थाना प्रभारी को निर्देश दिया जाता है कि अगर किसी व्यक्ति के साथ कोई घटना घट जाये तथा वे थाने की शरण में आयें तो, उनकी समस्या को शान्तिपूर्ण ढंग से सुने तथा जिनके द्वारा उनके विरूद्व अत्याचार किया गया है, उसपर कठोर कार्रवाई सुनिश्चित करें।इससे आम जनता में पुलिस प्रशासन के प्रति विश्वास उत्पन्न होगा। यह भी ध्यान देने योग्य बात है कि किसी मामले के निष्पादन में पारदर्शीता एवं निष्पक्षता बरकरार रखी जाय।

(47) लम्बित वारण्ट/कुर्की की स्थिति :

इस थाना में विभिन्न आरक्षी पदाधिकारियों एवं आरक्षियों के पास लम्बित वारण्ट/कुर्की की स्थिति निम्नवत है :–

क0	पदाधिकारी/आरक्षी का नाम	वारन्ट	कुर्की	फाइन वारन्ट	डी0/डब्लू
1.	अ0 नि0 पी0एल0राम	07	04	––	––
2.	अ0 नि0 सुरेश प्रसाद	04	02	––	––
3.	अ0 नि0 जनीफउद्दीन	01	––	––	––
4.	अ0 नि0 कुमार एस0 आन्नद	02	04	––	––
5.	स0 अ0 नि0 शशिभुषण दास	01	––	––	04
6.	स0 अ0 नि0 कामता प्रसाद	03	01	––	––
7.	स0 अ0 नि0 निशार अहमद	01	––	––	––
8.	स0 अ0 नि0मल्कु उरांव	06	––	––	––
9.	स0 अ0 नि0 भुनेश्वर सिंह	12	02	––	––
10.	स0 अ0 नि0 राम पवित्र पासवान	01	––	––	––
11.	आरक्षी/143 रघुनाथ सिंह	02	––	––	––
12	आरक्षी/145 उमेश सिंह	01	––	––	––

(48) प्रतिवेदित/निष्पादित एवं लम्बित कांडों की विवरणी :

आरक्षी निरीक्षक, तोपचांची अंचल के सितम्बर,2000 तक का थानावार प्रतिवेदन/निष्पादित एवं लम्बित कांड़ो की विवरणी निम्न प्रकार है :–

थाना का नाम	पूर्व माह से लम्बित			वर्तमान माह में प्रतिवेदित			कुल योग			वर्तमान माह में निष्पा0			माह के अन्त में लम्बित		
	वि0प्र0	अ0वि0प्र0	योग	वि0प्र0	अ0वि0प्र0	योग	वि0प्र0	अ0वि0प्र0	योग	वि0प्र0	अ0वि0प्र0	योग	वि0प्र0	अ0वि0प्र0	योग
तोपचांची	20	03	23	03	08	11	23	11	34	02	09	11	21	02	23
हरिहरपुर	11	03	14	01	01	02	12	04	16	01	01	02	11	03	14
बाघमारा	03	07	10	01	03	04	04	10	14	02	04	06	02	06	08
कुल योग	34	13	47	05	12	17	39	25	64	05	14	19	34	11	45

(49) लम्बित अविशेष प्रतिवेदित कांड की विवरणी :

आरक्षी निरीक्षक, तोपचांची अंचल के माह सितम्बर,2000 तक थानावार लम्बित अविशेष प्रतिवेदित कांड़ो की विवरणी निम्न प्रकार है :–

(क) तोपचांची थाना :

क0	कांड संख्या , धारा , तिथि सहित	लंबित रहने का कारण	दैनिकी संख्या	आ0नि0 का प्रति0	अनुसंधानकर्त्ता का नाम
1.	99/2000 दिनांक 18.07.2000 धारा–279/304 (ए) भा0द0वि0	गिरफ्तारी हेतु	2 –दिनांक 19.7.2000	——	अ0नि0के0एस0आन्नद
2.	117/2000 दिनांक 02.09.2000 धारा–457/380 भा0द0वि0	अनुसंधानान्तर्गत	शून्य	पर्य0 05.09.2000	अ0नि0 पन्नालाल राम

(ख) हरिहरपुर थाना :

क्र0	कांड संख्या , धारा , तिथि सहित	लंबित रहने का कारण	दैनिकी संख्या	आ0नि0 का प्रति0	अनुसंधानकर्त्ता का नाम
1	68 /99 दिनांक 09.06.1999 धारा– 457 / 380 भा0द0वि0	गिरफतारी हेतु	8 / दिनांक 15.05.2000	11.06.2000	
2	59 /2000 दिनांक 14.07.2000 धारा–457 / 380 भा0द0वि	अनुसंधान अन्तर्गत	7 दिनांक 25.06.2000	----	अ0नि0, के0 पाण्डेय
3	96 /2000 दिनांक 14.07.2000 धारा–384 / 387 भा0द0वि0	गिरफतारी हेतु	शून्य	---	

(ग) बाघमारा थाना :

क्र0	कांड संख्या , धारा , तिथि सहित	लंबित रहने का कारण	दैनिकी संख्या	आ0नि0 का प्रतिवेदन	अनुसंधानकर्त्ता का नाम
1	9 /2000 दिनांक 12.01.2000 धारा–461 / 379 भा0द0वि0	अनुसंधान अन्तर्गत	10 दिनांक 12.09.2000	14.01.2000	अ0 नि0 एन0 रहमान
2	43 /2000 दिनांक 21.03.2000 धारा–379 / 411 भा0द0वि0	अनुसंधान अन्तर्गत	5 दिनांक 12.09.2000	24.03.2000	तदैव
3	142 /2000 दिनांक 05.08.2000 धारा–379 भा0द0वि0	तदैव	9 दिनांक 08.09.2000	15.08.2000	स0अ0नि0 एस0 एन0 राम
4	151 /2000 दिनांक 14.08.2000 धारा–147 / 149 / 323 / 337 / 353 भा0द0वि0	तदैव	---	---	स0अ0नि0 रमेन्द्र प्रसाद
5	152 /2000 दिनांक 15.08.2000 धारा–341 / 323 / 504 / 34 भा0द0वि0	तदैव	---	---	तदैव
6	153 /2000 दिनांक 20.08.2000 धारा–279 / 304(ए) भा0द0वि0	तदैव	---	---	अ0 नि0 जितेन्द्र कुमार

(50) लंबित विशेष प्रतिवेदित कांडों की विवरणी :

आरक्षी निरीक्षक, तोपचाँची अंचल के माह सितम्बर , 2000 तक तोपचाँची थाना का लम्बित विशेष प्रतिवेदित कांडों का विवरणी निम्न प्रकार है :–

क्र0	वि0प्र0से0	कांड संख्या , तिथि एवं धारा	लंबित का कारण	कांड दैनिकी	आ0अ0 / अनु0आ0पदा0 / आ0नि0 का प्रतिवेदन	अनुसंधानकर्त्ता
1	261/91	67/91 दिनांक 24.03.1991 धारा 147/148/149/323 /427/307 भा0द0वि0 एवं 3/4 वि0 पदार्थ अधिनियम	वि0 पदार्थ की जॉच प्रतिवेदन प्राप्ति हेतु	14 दिनांक 13.10. 1998	प्रतिवेदन –11 दिनांक 20.04.1999	अ0 नि0,के0एस आनन्द
2	282/91	68/2000 दिनांक 24.03.1991 धारा–147/148/323/141/ 352/295/153(ए)/120(बी) भा0द0वि0 एवं 3/4 वि0 पदार्थ अधिनियम	तदैव	दै.सं–10 दि0–06.08.2000	अनु0 पदा0 दिनांक –19.6.1999	अ0 नि0,सुरेश प्रसाद
3	464/91	112/91 दिनांक 08.05.1991 धारा–414 भा0द0वि0 एव 3/4 वि0 पदार्थ अधिनियम	तदैव	पुरक दै0 संख्या– दि0–11.08.2000	अनु0आ0पदाधिकारी दिनांक 08.05.1991	अ0 नि0 ,पन्नालाल राम
4	939/92	191/92 दिनांक 23.09.1992 धारा–406/420/120 (बी) भा0द0वि0	अभि0 स्वीकृत्यादेश	पुरक दै0 संख्या– दि0–24.05.1992	प्रति0 14 दिनांक 25.07.1998	स0अ0नि0,एस0बी0 दास
5	786/93	126/93 दिनांक –01.08.1993 धारा – 307/323/302/ भा0द0वि0 25(1–बी) 26/27 शस्त्र अधिनियम	अप0अनु0वि0 द्वारा अनुसंधान अन्तर्गत	33 दिनांक 14.06.1999	अनु0आ0पदाधिकारी 17.07.1998	अ0 नि0,पन्नालाल राम
6	492/95	96/95 दिनांक 13.07.1995 धारा–392 भा0द0वि	संदहा अभि0 को गिरफतारी हेतु	पु0दै0सं–26 दिनांक 27.11.1999	अनु0आ0पदा0 का प्रति0 27.04.1998	स0अ0नि0,एस0बी0 दास
7	746/97	155/97 दिनांक 04.12.1997 धारा– 420/414/ 120बी0 भा0द0वि0	अभियुक्त की गिरफतारी हेतु	पु0दै0सं–6 दिनांक –27.11.1998	आदेश हेतु	स0अ0नि0,एस0बी0 दास

क्र0	वि0प्र0सं0	कांड संख्या , तिथि एवं धारा	लंबित का कारण	कांड दैनिकी	आ0अ0 / अनु0आ0पदा0 / आ0नि0 का प्रतिवेदन	अनुसंधानकर्त्ता
8	1395/98	178 / 98 दिनांक 21.12.1998 धारा–399 / 402 भा0द0वि0 307 / 353 एवं 25(1–बी) / 26 / 27 / 35 शस्त्र अधिनियम एवं 3 / 4 वि0पदार्थ अधिनियम	वि0पदा0 का जॉच प्रतिवेदन प्राप्ति हेतु	पु0दै0सं0 1 दि0–23.03.1999	प्रति0 – 2 दि0 15.01.1999	अ0नि0,सुरेश प्रसाद
9	243/99	41 / 99 दिनांक 02.04.1999 धारा– 467 / 468 / 420 / 120(बी) भा0द0वि0	अभ्युक्त की गिरफतारी हेतु	दै0सं0 13 दि0–23.05.1999	आ0अ0 का प्रतिवेदन–2 दिनांक–07.05.1999	स0अ0नि0,मल्कू उरांव
10	453/99	66 / 99 दिनांक – 08.06.1999 धारा–409 भा0द0वि0	तदैव	दै0सं0–12 दि0–30.08.2000	अनु0आ0पदा0 28.02.2000	अ0नि0,सुरेश प्रसाद
11	778/99	103 / 99 दिनांक 11.08.1999 धारा–414 / 120(बी) भा0द0वि0	तदैव	दैसं0–9 दि0–07.06.2000	अनु0आ0पदा0 01.06.2000	स0अ0नि0,भुनेश्वर सिंह
12	830/99	114 / 99 दिनांक 24.08.1999 धारा–414 / 323 / 406 / 494 / 498(ए) 120(बी) भा0 द0 वि0	तदैव	पु0दै0सं0 15 दि0–28.05.2000	आ0अ0प्रति0–5 दिनांक–18.06.2000	अ0 नि0,पन्नालाल राम
13	859/99	116 / 99 दिनांक 31.08.1999 धारा–307 / 120(बी) / 302 / 34 भा0द0वि0	तदैव	पु0दै0सं0 3 दि0–11.08.2000	अनु0आ0पदा0 दिनांक 10.05.2000	स0अ0नि0,बी. सिंह
14	139/2000	14 / 2000 दिनांक 04.02.2000 धारा 419 / 420 / 467 468 / 471 / 120(बी) 379 / 411 भा0द0वि0	तदैव	दै0सं0 25 दि0–15.07.2000	अनु0आ0पदा0 दिनांक–05.09.2000	अ.नि.,के0 एस0 आनन्द
15	385/2000	42 / 2000 दिनांक 10.04.2000 धारा 307 / 34 भा0द0वि0 एवं 3 / 4 वि0पदार्थ अधिनियम	अभियोजन स्वीकृत्यादेश हेतु	दै0सं0 88 दि0–30.07.2000	अनु0आ0पदा0 पी0आर0 दिनांक 26.07.2000	स0अ0नि0 कामता प्रसाद

क्र0	जि0प0सं0	कांड संख्या, तिथि एवं धारा	लंबित का कारण	कांड दैनिकी	आ0अ0 / अनु0आ0पदा0 / आ0नि0 का प्रतिवेदन	अनुसंधानकर्त्ता
16	433/2000	47/2000 दिनांक 01.05.2000 धारा–394 भा0द0वि0	अनुसंधान अन्तर्गत	दै0सं011 दि0–05.07.2000	अनु0आ0पदा0 पी0आर0 10.06.2000	अ0 नि0,पन्नालाल राम
17	627/2000	81/2000 दिनांक 18.06.2000 धारा–409/420/467/468/120(बी) /379/411 भा0द0वि0	तदैव	दै0सं0 6 दि0–03.07.2000	अनु0आ0पदा0 पी0आर0 दिनांक 11.09.2000	अ0नि0,के0एस0आनन्द
18	683/2000	92/2000 दिनांक 07.07.2000 धारा–395 भा0द0वि0	तदैव	दै0सं0 14 दि0–30.08.2000	अनु0आ0पदा0 पर्य0 दिनांक–09.07.2000	अ0 नि0,के0एस0आनन्द
19	895/2000	118/2000 दिनांक 02.09.2000 धारा–409/477(ए) भा0द0वि0	तदैव	दै0सं0–2 दि0–04.09.2000	अनु0आ0पदा0 पर्य0 दिनांक 02.09.2000	अ0 नि0,सुरेश प्रसाद
20	916/2000	121/2000 दिनांक 08.09.2000 धारा–364/34 भा0द0वि0	तदैव	शून्य	–––	अ0 नि0,अशोक कुमार
21		127/2000 दिनांक 26.09.2000 धारा–306 भा0द0वि0	तदैव	शून्य	––	अ0 नि0,के.एस. आनन्द

(51) सम्मान गार्डः

निरीक्षण के दौरान निम्नलिखित आरक्षी कर्मियों ने अधोहस्ताक्षरी को सलामी निष्ठापूर्वक दी।इन सभी आरक्षीयों का टर्न आउट अच्छा रहा सम्मान गार्ड का संचालन हवलदार मनोज राय कर रहे थे।इनका मनोबल उंचा रखने के लिए पुरस्कृत किया जाता है। नियमानुसार आरक्षी अधीक्षक, धनबाद इन्हें पुरस्कार राशि उपलब्ध करा देंगे।

1. हवलदार मनोज राय
2. आ0/748 उमेश कुमार सिंह
3. आ0/361 राम पुकार सिंह
4. आ0/496 सन्मुख राम
5. आ0/790 लाल बाबू राम
6. आ0/141 राम जनम राम
7. आ0/488 दिलीप कुमार सिंह
8. आ0/698 प्रमोद कुमार राय

(52) लम्बित अप्राकृतिक मृत्यु काण्डों का आंकडा :

इस थाना में लम्बित अप्राकृतिक मृत्यु काण्डों का आंकडा निम्न प्रकार है :–

1. 11/98 दिनांक 29.07.98	स0अ0नि0 के0डी0 सिंह
2. 23/98 दिनांक 09.12.98	स0अ0नि0 आर0पी0पासवान
3. 25/98 दिनांक 30.12.98	स0अ0नि0 एस0बी0दास
4. 01/99 दिनांक 01.01.99	स0अ0नि0 कामता प्रसाद
5. 12/99 दिनांक 28.06.99	स0अ0नि0 कामता प्रसाद
6. 13/99 दिनांक 30.06.99	स0अ0नि0 एस0बी0दास
7. 15/99 दिनांक 12.10.99	स0अ0नि0 अबि हेम्ब्रम
8. 20/99 दिनांक 23.11.99	स0अ0नि0 के0डी0 सिंह
9. 22/99 दिनांक 29.12.99	स0अ0नि0 के0डी0 सिंह
10. 05/2000 दिनांक 09.04.2000	स0अ0नि0 कामता प्रसाद
11. 06/2000 दिनांक 03.05.2000	अ0नि0 के0 एस0 आन्नद
12. 09/2000 दिनांक 26.05.2000	स0अ0नि0 निसार अहमद
13. 11/2000 दिनांक 09.07.2000	स0अ0नि0 अबि हेम्ब्रम
14. 12/2000 दिनांक 14.07.2000	अ0नि0 पन्नालाल राम
15. 13/2000 दिनांक 16.09.2000	अ0नि0 सुरेश प्रसाद
16. 14/2000 दिनांक 29.09.2000	स0अ0नि0मल्कु उरांव
17. 15/2000 दिनांक 08.10.2000	स0अ0नि0 भुवनेश्वर सिंह

(53) अन्यान्य :

(क)जिला विधि अनुश्रवण समिति की बैठक में ए0पी0पी0 द्वारा अधोहस्ताक्षरी को जानकारी दी गई कि अनुसंधान प्रतिवेदन के अभाव में कार्य करने में काफी कठिनाईयों का सामना करना पडता है।अतः थाना प्रभारी को निर्देश दिया जाता है कि लम्बित मामलों का अनुसंधान कार्य को त्वरित गति से निष्पादित करते हुए प्रतिवेदन समर्पित करने की दिशा में अग्रतर कार्रवाई करना सुनिश्चित करेंगें।

(ख) जिला विधि अनुश्रवण समिति की बैठक में अक्सर यह भी शिकायत मिलती है कि अनुसंधानकर्ता की डायरी के अभाव में बहुत सारे मामलों में कन्भीक्शन का सामना करना पड़ता है।अतः थाना प्रभारी को निर्देश दिया जाता है कि ऐसी स्थिति पैदा नहीं होने दिया जाय। गवाह प्रोडक्शन के लिए जो सम्मन थाना को भेजे जाते हैं उसका तामिला निश्चित तौर पर कराया जाय ।

(घ) निरीक्षण के दौरान यह बात प्रकाश में आई कि हरिहरपुर थाना क्षेत्र का प्राथमिकी तोपचाँची थाना में दर्ज होता है । सरकार को इसे स्वतन्त्र थाना के रूप में अधिसूचित करने हेतु ध्यान आकृष्ट किया जाय । आरक्षी अधीक्षक , धनबाद तदनुसार अग्रतर कार्रवाई करेंगें ।

(54) निष्कर्ष :

कुल मिलाकर थाना की स्थिति संतोषप्रद है । थाना प्रभारी को उन पंजियों पर समुचित ध्यान देने की आवश्यकता है जिसपर निरीक्षण के दौरान टिप्पणी में अद्यतन करने के बिन्दु अंकित किये गये हैं । ऐसा करने से महत्वपूर्ण पंजिया अद्यतन तो होगी ही, साथ ही साथ इससे सक्रिय अपराधियों पर नियंत्रण रखने में , अभियुक्तों के विरूद्ध निर्गत वारंट के कार्यान्वयन में , मालखाना में रखे अतिआवश्यक परिसम्पतियों के निष्पादन की दिशा में तथा क्षेत्र में अवैध रूप से किये जाने वाले कारोबार आदि को नियंत्रित करने में आशातीत सफलता प्राप्त होगी ।

ह०/-

उपायुक्त , धनबाद ।

ज्ञापांक – /गो0 धनबाद, दिनांक –

प्रतिलिपि – मुख्य सचिव , बिहार ,पटना की सेवा में सादर सूचनार्थ प्रेषित ।
प्रतिलिपि – गृह सचिव, बिहार ,पटना की सेवा में सादर सूचनार्थ प्रेषित ।
प्रतिलिपि – महा निदेशक एवं आरक्षी महानिरीक्षक, बिहार पटना / आरक्षी महानिरीक्षक (प्रशासन) बिहार, पटना की सेवा में सूचनार्थ प्रेषित ।
प्रतिलिपि – आयुक्त , उत्तरी छोटानागपुर प्रमण्डल , हजारीबाग की सेवा में सादर सूचनार्थ प्रेषित ।
प्रतिलपि – आरक्षी महानिरीक्षक, छोटनागपुर प्रक्षेत्र , राँची / आरक्षी उप–महानिरीक्षक, कोयला क्षेत्र, बोकारो को सूचनार्थ प्रेषित ।
प्रतिलिपि – आरक्षी अधीक्षक , धनबाद / अपर–आरक्षी अधीक्षक , धनबाद को सूचनार्थ एवं आवश्यक क्रियार्थ प्रेषित
प्रतिलिपि – अनुमंडल पदाधिकारी, धनबाद को सूचनार्थ प्रेषित ।
प्रतिलिपि – सभी आरक्षी उपाधीक्षक, धनबाद जिला को सूचनार्थ एवं आवश्यक क्रियार्थ प्रेषित ।
प्रतिलिपि – सभी आरक्षी निरीक्षक , / सभी थाना प्रभारी , धनबाद जिला को सूचनार्थ एवं आवश्यक क्रियार्थ प्रेषित ।

Rajendra 14.11.2000

उपायुक्त , धनबाद ।